संख्या–473/सम/73–2016–

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

जारी/श्री अस्थाना स०अ०
20.4.2016
जारी
20-4-16

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

समन्वय अनुभाग लखनऊः दिनांकः 20 अप्रैल, 2016

विषयः आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चयनित आई–स्पर्श स्मार्ट ग्रामों में ग्रामवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सतत मूलभूत तथा आधुनिक समाधान उपलब्ध कराते हुए उनके जीवन–यापन में गुणात्मक सुधार ला कर सम्बन्धित ग्राम के मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) में बढ़ोत्तरी लाने हेतु आधुनिक तकनीक, क्लाइमेट स्मार्ट क्रियाकलाप तथा डिजिटल एप्लीकेशन्स का प्रयोग मुख्य रूप से करते हुये ग्रामीण समुदाय की सामूहिक शक्ति (collective strength) तथा राज्य सरकार के प्रयासों के सहयोग एवं सिनर्जी (synergy) से किया जाय।

2. **योजना का कियान्वयन–**

इस योजना का कियान्वयन, समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत यू.पी. डॉस्प द्वारा मिशन–मोड में किया जायेगा। आई0–स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना मिशन, यूपी डॉस्प के अन्तर्गत स्थापित किया जायेगा एवं यूपी डॉस्प के परियोजना समन्वयक (प्रोजेक्ट को–ऑर्डिनेटर) इसके मिशन डायरेक्टर

होंगे। आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना का अनुमोदन, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण निम्नानुसार समितियों द्वारा किया जायेगा:–

2.1 ग्राम स्तरीय कियान्वयन समिति:–

01. उप जिलाधिकारी,	अध्यक्ष,
02. खण्ड विकास अधिकारी,	उपाध्यक्ष,
03. सहायक विकास अधिकारी,	सदस्य सचिव
04. अन्य सदस्य	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायत विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (कृषि), अध्यक्ष द्वारा नामित सम्बन्धित ग्राम का एक प्रगतिशील कृषक, प्रधान अध्यापक, एवं ए.एन.एम. /हेल्थ सब सेन्टर का हेड, । (समिति में कम से एक–तिहाई अथवा उपलब्धता के अनुसार महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो)

ग्राम स्तरीय समिति द्वारा योजना का प्रस्ताव बनाकर जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन होने के पश्चात् स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित किया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम की योजना, उसका कियान्वयन एवं अनुश्रवण उनके स्तर से नियमित रूप से किया जाय एवं योजना को समय से तैयार कर जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति को प्रेषित किया जाये। ग्राम्य स्तरीय समिति को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समुचित मार्ग दर्शन प्रदान किया जायेगा।

2.2 जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति–

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
3. सभी विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य

जिलाधिकारी यदि चाहें तो समिति में विशेषज्ञों को co-opt अथवा सम्मिलित कर सकते हैं। जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार परीक्षण कर योजना अपनी संस्तुतियों सहित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनार्थ आई–स्पर्श मिशन निदेशक, यू0पी0 डास्प पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा।

2.3 राज्य स्तरीय समितिः–

राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव, समन्वय एवं परियोजना समन्वयक, यू.पी. डॉस्प	सदस्य सचिव
4.	प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, समस्त कार्यदायी विभाग	सदस्य

उक्त समिति द्वारा विभिन्न जनपदों से प्राप्त परियोजनाओं का तकनीकि, वित्तीय तथा क्षेत्रीय उपयोगिता के आधार पर मूल्यांकन कर स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. **योजना हेतु बजट का प्राविधान–** वर्ष 2016–17 में प्रश्नगत योजना के लिए कुल तीन सौ करोड़ रूपये का बजट प्राविधान किया गया है, जिसमें बीस प्रतिशत धनराशि राज्य स्तरीय आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना मिशन के स्तर पर रखी जायेगी, जो राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात् विभिन्न उन योजनाओं में खर्च की जायेगी, जिनके लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है अथवा जो अपने आप में अभिनव कार्य (innovative) हों, एक प्रतिशत की धनराशि कन्टीजेंसी फण्ड के रूप में यू.पी.डॉस्प के स्तर पर रखी जायेगी जो यू. पी.डॉस्प तथा जिलों के प्रशासनिक खर्चो तथा आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम के लिए डी.पी.आर. इत्यादि बनाने में प्रयोग की जायेगी।

उपरोक्त धनराशि के आवंटन में परिवर्तन करने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति में निहित होगा।

4. भविष्य में आई–स्पर्श के स्वरूप में आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार मा0 मुख्यमंत्री जी में निहित होगा।

5. योजना के उद्देश्यों तथा क्रियाकलापों को I-SPARSH acronym में निम्नानुसार समाहित किया गया है:–

I-	Inclusive (Growth), Income (Enhancement), IT (Solutions) [चयनित ग्रामों का समग्र विकास, आय में वृद्धि तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग।]
S-	Skill (Development), Social (Cohesion/Justice), Simple (Solutions) [कौशल विकास, सामाजिक मेल–मिलाप एवं जुड़ाव/सामाजिक न्याय, आसान समाधान।
P-	Participation, People, Panchayati Raj. [जनसामान्य एवं पंचायती राज की सहभागिता।]
A-	Adaptation, Agriculture (Smart and Precise), Allied activities. [कृषि की आधुनिक एवं दक्ष तकनीकों तथा सम्बन्धित सहायक क्रियाकलापों के अनुरूप रूपान्तरण करना।]
R-	Responsive (Governance), Resilience, Recycle. [उत्तरदायी शासन/प्रशासन, लचीलापन, एवं संसाधनों को पुनः उपयोग में लाने की दक्षता विकसित करना।]
S-	Safety and Security, Sanitation, Sustainable. [सुरक्षा एवं स्वच्छता तथा टिकाऊपन।]
H-	Health, Hygiene, Housing. [स्वास्थ्य, स्वच्छ एवं स्वस्थपरक जीवनशैली तथा आवास।]

6. **योजना की अवधि** : आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना को फिलहाल एक वर्ष के लिए लागू किया जायेगा, जो 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक प्रचलित रहेगी। योजना के परिणाम के आधार पर इसे भविष्य में विस्तारित करने पर विचार किया जायेगा।